

**पटना उच्च न्यायालय की अधिकारिता में
2024 का सिविल रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 2862**

पीएनबी मेटलाइफ इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का पंजीकृत कार्यालय इकाई संख्या 701, 702 और 703, 7 वीं मंजिल, वेस्ट विंग, रहेजा टावर्स, 26/27, एम. जी. रोड, थाना-अशोक नगर, जिला-बैंगलोर, कर्नाटक-560001, जिसका प्रतिनिधित्व अधिकृत प्रतिनिधि श्री गौतम मुखर्जी ने किया।

..... याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. भारत संघ, वित्त मंत्रालय के सचिव के माध्यम से, वित्तीय सेवाएँ विभाग, तीसरी मंजिल, जीवन दीप भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001
2. भारतीय बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण, सर्वे. सं. 115/1, वित्तीय जिला, नानकरामगुडा, गाचीबोवली, हैदराबाद - 500032
3. अध्यक्ष, भारतीय बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण, सर्वे. सं. 115/1, वित्तीय जिला, नानकरामगुडा, गाचीबोवली, हैदराबाद-500032
4. ऊधा देवी, स्वर्गीय भोला रॉय की पत्नी, वर्तमान में मोहल्ला-आनंदपुरी, थाना - ब्रह्मपुआ, जिला-मुजफ्फरपुर, बिहार में रहती हैं और निवासी- भगवानपुर रट्टी, डाक-बालुकरम, थाना-वैशाली, जिला-वैशाली ।

..... उत्तरवादी/गण

उपस्थिति:

याचिकाकर्ता के लिए	:	श्री पी. एन. शाही, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री दयानंद कश्यप, अधिवक्ता
भारत संघ के लिए	:	श्री राजेश कुमार, सी. जी. सी
उत्तरवादी संख्या 4 के लिए	:	श्री निखिल कुमार अग्रवाल, अधिवक्ता सुश्री अदिति हंसारिया, अधिवक्ता श्री यश सहाय, अधिवक्ता

रिट याचिका- जिला उपभोक्ता फोरम द्वारा पारित आदेश को रद्द करने के लिए दायर की गई।

प्रकरण:

याचिकाकर्ता ने उदहा देवी के दिवंगत पति के बीमा दावे को अस्वीकार कर दिया, यह तर्क देते हुए कि उन्होंने पूर्व-विद्यमान तपेदिक (टीबी) की स्थिति को छिपाया था। जिला उपभोक्ता फोरम ने याचिकाकर्ता के विरुद्ध निर्णय दिया।

प्रतिवादी की दलीलें:

- जांच रिपोर्ट में आवश्यक तथ्यों की स्पष्टता और विश्वसनीयता का अभाव है। (पैरा 20)
- मृतक की मृत्यु एक दुर्घटना के कारण हुई थी, न कि तपेदिक के कारण। (पैरा 22)
- बीमा पॉलिसी जारी किए जाने के समय मृतक किसी भी बीमारी से पीड़ित नहीं था, अतः याचिकाकर्ता द्वारा लगाया गया आरोप काल्पनिक है। (पैरा 22)

निर्णय:

प्रतिवादी की प्रस्तुतियों के मद्देनजर रिट याचिका खारिज की जाती है। (पैरा 23)

=====

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय /आदेश

=====

पीठ: माननीय न्यायमूर्ति श्री सत्यव्रत वर्मा

मौखिक न्यायादेश

तारीख: 10-02-2025

श्री पी.एन. शाही, याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता जिनकी सहायता विद्वान अधिवक्ता श्री दयानंद कश्यप द्वारा की गई, भारत संघ के लिए विद्वान सी जी सी श्री राजेश कुमार और उत्तरवादी संख्या 4 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री निखिल कुमार अग्रवाल, जिनकी सहायता विद्वान अधिवक्ता श्री यश सहाय द्वारा की गई, को सुना।

2. याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री पी. एन. शाही प्रस्तुत करते हैं कि पी. एन. बी. मेटलाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड जीवन बीमा कंपनी बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 3 के प्रावधान और कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रासंगिक प्रावधान के तहत पंजीकृत है और भारतीय

बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (जिसे इसके बाद 'आईआरडीएआई' के रूप में संदर्भित किया गया है) द्वारा देश भर में अपने ग्राहक को जीवन बीमा कवर प्रदान करने के लिए लाइसेंस प्राप्त है।

3. याचिकाकर्ता के लिए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता आगे प्रस्तुत करते हैं कि याचिकाकर्ता की कंपनी को मृत जीवन बीमित (इसके बाद 'डी. एल. ए.' के रूप में संदर्भित) विधिवत भरा और हस्ताक्षरित आवेदन पत्र प्राप्त हुआ था। इसके बाद यह प्रस्तुत किया जाता है कि याचिकाकर्ता को आवेदन संख्या 191103094 और 191184657 वाले दिनांकित 27.01.2015 और 12.02.2025 के 2 प्रस्ताव फॉर्म प्राप्त हुए थे। प्रस्ताव प्रपत्रों में, डी. एल. ए. के चिकित्सा इतिहास से संबंधित प्रश्नों के उत्तर में नकारात्मक उत्तर दिया था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि प्रस्ताव प्रपत्र के भाग ई के प्रश्न संख्या 3 (3) और (14) के संबंध में डी. एल. ए. ने नकारात्मक उत्तर दिया था, प्रश्न 3 (3) के संबंध में -तपेदिक, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, एवियन फ्लू, सांस की तकलीफ या कोई अन्य श्वसन विकार- डी. एल. ए. द्वारा उत्तर 'नहीं' था, 3 (14) (ए) प्रश्नों के संबंध में-पिछले 5 वर्षों के दौरान, क्या आपने किसी बीमारी के लिए, जो बुखार, सामान्य सर्दी या खांसी के अलावा चार दिनों से अधिक समय तक चली हो, किसी डॉक्टर या स्वास्थ्य विशेषज्ञ से परामर्श किया है, डी. एल. ए. द्वारा जवाब 'नहीं' था।

4. याचिकाकर्ता के लिए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि डी. एल. ए. एक विवेकपूर्ण व्यक्ति था, जिसने प्रस्ताव प्रपत्रों पर हस्ताक्षर किए थे, यह घोषणा करते हुए कि उसने आवेदन पत्रों को विधिवत पढ़ा था और उसको समझा था और इसके परिणामस्वरूप उसकी सामग्री के साथ-साथ

नियमों और शर्तों को विधिवत समझने के बाद जानकारी प्रस्तुत की थी। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि यह घोषणा में यह भी शामिल है कि डी. एल. ए. ने अपनी जानकारी के अनुसार सभी तथ्यों का सही, पूर्ण और सटीक खुलासा किया था। कंपनी ने प्रस्तावक अर्थात् डी. एल. ए. द्वारा दिए गए विवरणों पर विश्वास करते हुए, याचिकाकर्ता ने रिट आवेदन के पैरा 7 (III) में विस्तृत विषय नीतियों को जारी किया जो इस प्रकार हैं:

“डी. एल. ए. एक विवेकपूर्ण व्यक्ति था जिसने प्रस्ताव प्रपत्रों पर हस्ताक्षर किए थे और यह घोषणा की थी कि उसने आवेदन पत्रों को विधिवत पढ़ा है और उसी को समझा है जिसके परिणामस्वरूप उसने नीतियों की सामग्री के साथ-साथ नियमों और शर्तों को विधिवत समझने के बाद जानकारी प्रस्तुत की थी। घोषणा में यह भी शामिल किया गया था कि डी. एल. ए. की सर्वोत्तम जानकारी के लिए सभी तथ्यों का सही और पूर्ण खुलासा किया था। इस प्रकार प्रस्तावक द्वारा दिए गए विवरणों पर विश्वास करते हुए याचिकाकर्ता कंपनी ने नीचे उल्लिखित विवरणों के अनुसार विषय नीतियां जारी कीं:

नीति सं.	21494215	21484320
नीतिगत योजना	मेट फैमिली इनकम प्रोटेक्टर प्लस	मेट फैमिली इनकम प्रोटेक्टर प्लस
जीवन का आश्वासन	भोला राय	भोला राय
प्रस्तावक	ऊधा देवी	ऊधा देवी
आश्वासन राशि	रु. 9,10,000 -	रु. 9,10,000
जोखिम शुरू होने की तिथि	12.02.2015	28.01.2015

प्रीमियम	Rs.15433 -	Rs.15433 -
प्रीमियम आवृत्ति	वार्षिक	वार्षिक

प्रस्ताव प्रपत्रों की एक प्रति जिसकी संख्या 191103094 और 191184657 है, इसके साथ संलग्न है और तत्काल रिट आवेदन के अनुलग्नक-पी/1 (सभी) के रूप में चिह्नित है।”

5. यह प्रस्तुत किया जाता है कि नीति दस्तावेज (अनुलग्नक-पी/2) आई. आर. डी. ए. आई., 2017 के विनियमन 8 (1) के तहत डी. एल. ए. को भेजे गए थे ताकि डी. एल. ए. उत्तर की समीक्षा कर सके और कंपनी को सूचित कर सके कि फॉर्म भरते समय कोई महत्वपूर्ण तथ्य छुपाया गया है, लेकिन ऐसी कोई जानकारी प्रदान नहीं की गई थी, इसलिए यह माना गया कि डी. एल. ए. ने कोई प्रासंगिक तथ्य नहीं छिपाया था। अतः यह प्रस्तुत किया जाता है कि नीतियों के अनुपालन में, जोखिम पॉलिसी संख्या 21484320 और 21494215 (परिशिष्ट-पी/1) के संबंध में क्रमशः 28.01.2015 और 12.02.2015 से एक वर्ष के लिए प्रारंभ हुआ। इसके बाद यह प्रस्तुत किया जाता है कि याचिकाकर्ता को मृत्यु दावे की सूचना दिनांक 28.11.2015 (अनुलग्नक-P/3) प्राप्त हुई अर्थात् जब नीति अभी भी प्रभावी थी, उत्तरवादी सं. 4 द्वारा याचिकाकर्ता को यह सूचित किया गया कि डीएलए की मृत्यु 15.06.2015 को एक सड़क दुर्घटना में हुई।

6. याचिकाकर्ता के लिए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि चूंकि यह एक प्रारंभिक दावा था, इसलिए याचिकाकर्ता ने बीमा अधिनियम की धारा 45 के संदर्भ में बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (पॉलिसी धारकों

के हित का संरक्षण) विनियम, 2002 (इसके बाद '2002 के विनियम' के रूप में संदर्भित) के खंड 8 (3) के तहत एक स्वतंत्र जांच एजेंसी के माध्यम से जांच की। यह कहा गया है कि 2002 के विनियमों को बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (पॉलिसी धारकों के ब्याज की सुरक्षा) विनियम, 2017 (इसके बाद '2017 विनियम' के रूप में संदर्भित) के विनियम 14 (2) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था।

7. याचिकाकर्ता के लिए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि जांच एजेंसी ने जांच के बाद एक रिपोर्ट प्रस्तुत की कि डी. एल. ए. को तपेदिक (इसके बाद 'टी. बी.' के रूप में संदर्भित) का सामना करना पड़ा था और मई, 2013 से अक्टूबर, 2013 तक उसका इलाज चल रहा था, यानी विषय नीति जारी होने से दो साल पहले डी. एल. ए. का टी. बी. का इलाज चल रहा था जैसा कि रिट आवेदन में अनुलग्नक-पी/4 के रूप में संलग्न चिकित्सा दस्तावेज से प्रकट होगा। इस प्रकार, यह प्रस्तुत किया जाता है कि डी. एल. ए. ने तत्काल नीति लेते समय जानबूझकर इस जानकारी को दबा दिया कि वह टी बी से पीड़ित था और उसका इलाज चल रहा था, इस प्रकार, प्रस्ताव प्रपत्र के भाग ई के 3 (3) और (14) (ए) से संबंधित प्रश्न का जानबूझकर "नहीं" उत्तर दिया, जो जांचकर्ता की जांच रिपोर्ट और रिट आवेदन के अनुलग्नक-5 और 6 के रूप में संलग्न उसके हलफनामे से प्रकट होगा।

8. याचिकाकर्ता के लिए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं कि याचिकाकर्ता को जानबूझकर डी. एल. ए. द्वारा प्रदान की गई गलत जानकारी के आधार पर विषयगत नीति जारी करने में गुमराह किया गया था, इसलिए, याचिकाकर्ता ने उत्तरवादी सं. 4 के दावे को दिनांक

12.02.2016 (रिट आवेदन के लिए अनुलग्नक-P/7) के पत्र के माध्यम से के माध्यम से खारिज कर दिया, जिसमें प्रत्येक पॉलिसी के लिए अलग से दावे को अस्वीकार करने का कारण का विवरण अलग से बताया गया था इस आधार पर कि याचिकाकर्ता को बीमा अधिनियम की धारा 45 के संदर्भ में डी. एल. ए. द्वारा झूठी घोषणा के आधार पर पॉलिसी जारी करने में गुमराह किया गया था, जिसमें झूठी घोषणा का परिणाम शामिल है क्योंकि वर्तमान मामले में डी. एल. ए. ने अपनी पहले से मौजूद बीमारी को छुपाया था। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि उत्तरवादी संख्या 4 ने अपने दावे को अस्वीकार किए जाने से व्यथित होकर विद्वान जिला उपभोक्ता फोरम, मुजफ्फरपुर के समक्ष सीसी संख्या 240/2016 (अनुलग्नक-पी/8) दायर किया है, ताकि याचिकाकर्ता द्वारा उसके दावे को अस्वीकार करने वाले दिनांक 12.02.2016 के आदेश को निरस्त किया जा सके। इसके बाद यह प्रस्तुत किया जाता है कि याचिकाकर्ता की कानूनी टीम का गठन मुंबई में स्थापित की गई और सभी मामलों को अप्रैल, 2018 में गुरुग्राम से मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया था, हालांकि, 2016 के सी. सी. संख्या 240 को सौंपने के दौरान अनजाने में नहीं सौंपा जा सका, इसलिए याचिकाकर्ता की ओर से कोई भी विद्वान जिला उपभोक्ता मंच, मुजफ्फरपुर (इसके बाद 'डी. सी. एफ., मुजफ्फरपुर' के रूप में संदर्भित) के सामने पेश नहीं हो सका, तदनुसार, डी. सी. एफ., मुजफ्फरपुर ने अपने दिनांक 18.07.2019 (अनुलग्नक-पी/9) के आदेश द्वारा 2016 के सी. सी. संख्या 240 को अनुमति दी और याचिकाकर्ता को उत्तरवादी संख्या 4 को 15.06.2015 से 7% प्रति वर्ष ब्याज के साथ 18,20,000/- रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया गया और मानसिक पीड़ा के लिए 20,000 रुपये और

मुकदमे की लागत के लिए 10,000 रुपये का भुगतान करने का भी निर्देश दिया।

9. यह प्रस्तुत किया जाता है कि याचिकाकर्ता डीसीएफ, मुजफ्फरपुर द्वारा पारित 2016 के सीसी संख्या 240 में दिनांकित 18.07.2019 के आदेश से व्यथित होने के कारण राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, पटना के समक्ष एफए/63/2020 दायर किया। विद्वान राज्य आयोग ने 23.02.2023 (अनुलग्नक-पी/10) के एक आदेश द्वारा अपील को खारिज कर दिया। इसके बाद, याचिकाकर्ता ने राष्ट्रीय आयोग के समक्ष आर. पी./1383/2023 के रूप में पुनरीक्षण दायर किया। पुनरीक्षण को भी दिनांक 29.09.2023 (रिट आवेदन के लिए अनुलग्नक-पी/11) के आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया गया था, इसलिए, वर्तमान रिट आवेदन 18.07.2019 (परिशिष्ट-पी/9), 23.02.2023 (परिशिष्ट-पी/10) और 29.09.2023 (परिशिष्ट-पी/11) के आदेश को रद्द करने के लिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मेसर्स यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंड्योरेंस कंपनी बनाम सुरेश चंद जैन और अन्य एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 914 के मामले में आदेश को ध्यान में रखते हुए दायर किया गया है जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया कि संबंधित उच्च न्यायालय के पास संबंधित उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में उठाए गए विवाद के संबंध में रिट अधिकार क्षेत्र में इस मुद्दे पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र होगा।

10. याचिकाकर्ता के लिए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि पूरा बीमा क्षेत्र और बीमा समझौता "उबेरिमा फिदेई" के सिद्धांतों पर आधारित है अर्थात् अत्यंत सद्भावना में। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि माननीय

सर्वोच्च न्यायालय के रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और अन्य बनाम रेखाबेन नरेशभाई राठौड़ के मामले में, जो (2019) 6 स्केल 734 में रिपोर्ट किया गया है, में अभिनिर्धारित किया कि बीमा पॉलिसी के संदर्भ में उस अभिव्यक्ति 'सामग्री' को किसी भी आकस्मिकता या घटना के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो बीमा कवर प्रदान करने के लिए बीमाकर्ता की जोखिम उठाने की क्षमता या बीमा कवर प्रदान करने की इच्छा पर प्रभाव डाल सकती है। इसके अलावा, यह भी देखा गया कि यह तय करना जीवन बीमाधारक के लिए नहीं है कि कोई भी तथ्य महत्वपूर्ण है या नहीं क्योंकि यह महत्वपूर्णता की परीक्षा का अनुसरण करते हैं कि विवेकपूर्ण बीमाकर्ता ने माना होगा कि कोई विशेष परिस्थिति एक महत्वपूर्ण तथ्य थी। इसके अलावा, बीमा के अनुबंध अत्यंत सद्भावना के सिद्धांत द्वारा शासित होते हैं, जिसके लिए आवश्यक है कि अनुबंध के सभी पक्ष लेन-देन में निष्पक्ष और ईमानदार हों। प्रस्ताव प्रपत्र का उद्देश्य बीमित किए जाने वाले जीवन के बारे में जानकारी एकत्र करना है जो बीमाकर्ता के लिए जोखिम का आकलन करने और यह तय करने के लिए सामग्री है कि प्रस्ताव प्रपत्र को स्वीकार करना है या नहीं, इस प्रकार, प्रस्ताव प्रपत्र अत्यंत सद्भावना का प्रयोग करने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसलिए इसे उचित सावधानी से भरा जाना चाहिए। बीमित व्यक्ति पर यह सुनिश्चित करना एक संविदात्मक दायित्व है कि सभी सही तथ्यों को बीमाकर्ता को सूचित किया जाए और प्रस्ताव प्रपत्र में विवरण में किसी भी दमन, असत्य या अशुद्धता के मामले में, यह सद्भावना के कर्तव्य का उल्लंघन होगा और बीमाकर्ता द्वारा पॉलिसी को अमान्य कर देगा। वी. के श्रीनिवास सेट्टी बनाम प्रीमियर एल. जी. आई. कंपनी के मामले में जो ए. आई. आर. 1958 एम. वाई. एस. 53 में रिपोर्ट किया गया, माननीय मैसूर उच्च

न्यायालय द्वारा निर्णय लिया गया, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि एक व्यक्ति जो एक प्रस्ताव पर अपने हस्ताक्षर करते हैं जिसमें एक कथन है जो सच नहीं है, वह सामान्य रूप से इस दलील से उत्पन्न होने वाले परिणाम से बच नहीं सकता है कि उसने पढ़े या समझे बिना ऐसे कथन वाले प्रस्ताव प्रपत्र पर हस्ताक्षर करने का विकल्प चुना, माननीय मैसूर उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय की उपरोक्त रिलायंस मामले में पुष्टि की गई थी।

11. याचिकाकर्ता के लिए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **मिथूलाल नायक बनाम एलआईसी** के मामले में, जो ए. आई. आर. 1962 एस. सी. 814 में रिपोर्ट किए गए निर्णीत किया कि चिकित्सा बीमाकर्ता द्वारा की गई जांच से बीमाकर्ता के डॉक्टर द्वारा प्रस्ताव की सतही जांच करने पर कोई छिपी हुई बीमारी, बीमारी आदि सामने नहीं आएगी। इस प्रकार, यह प्रस्तुत किया जाता है कि यदि डी. एल. ए. ने बीमारी का खुलासा किया होता, तो याचिकाकर्ता डी. एल. ए. को गहन चिकित्सा जांच के अधीन करता ताकि बीमा अनुबंध में प्रवेश करने से पहले प्रस्ताव पर विचार किया जा सके। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता आगे प्रस्तुत करते हैं कि **एल.आई.सी ऑफ इंडिया बनाम मनीष गुप्ता** के मामले में जो (2019) 11 एस. सी. सी. 371 में रिपोर्ट किए गए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि भले ही बीमा कंपनी द्वारा पॉलिसी जारी करने से पहले एल. ए. की चिकित्सकीय जांच की गई थी, लेकिन यह एल. ए. को प्रस्ताव के समय उनकी सभी मौजूदा चिकित्सा स्थितियों का खुलासा करने के उनके दायित्व से छूट या मुक्ति नहीं देता है, तदनुसार, मृत्यु दावे को दर्ज किए गए चिकित्सा इतिहास के आधार पर अस्वीकार कर दिया गया था। इसके बाद यह प्रस्तुत किया जाता है कि डी. एल. ए. की विभिन्न कंपनियों की कई पॉलिसियाँ थीं,

इसलिए ऐसी सभी पॉलिसियाँ को टी. बी. को छिपाने के आधार पर अस्वीकार कर दिया गया था, जिसके लिए उत्तरवादी सं. 4 ने अलग-अलग मामले दायर किए थे और सभी मामलों की अनुमति दी गई थी जैसा कि रिट याचिका के अनुलग्नक-पी/12 से प्रकट होता है।

12. याचिकाकर्ता के लिए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, इस प्रकार, संक्षेप और सार में, प्रस्तुत करते हैं कि डीएलए प्रस्ताव प्रपत्र जमा करने के समय अपनी पूर्व-मौजूदा बीमारी के बारे में जानता था, लेकिन फिर भी उसने उसे छिपाने का फैसला किया, इसके कारण यह बीमा अधिनियम की धारा 45 का पूरी तरह से उल्लंघन था और इस प्रकार, उत्तरवादी सं. 4 को अस्वीकार कर दिया गया था।

13. उत्तरवादी सं. 4 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि एक असहाय विधवा को एक कॉर्पोरेट दिग्गज के खिलाफ खड़ा किया गया है डीसीएफ, मुजफ्फरपुर, राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग के समक्ष सफल होने के बावजूद अभी भी मुकदमा चल रहा है और वर्ष 2015 से आज तक शुरू हुई मुकदमेबाजी समाप्त नहीं हुई है, इस तरह, कोई भी एक असहाय विधवा की दुर्दशा की अच्छी तरह से कल्पना कर सकता है कि वह कैसे पीड़ित है।

14. उत्तरवादी संख्या 4 की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने याचिकाकर्ता के वरिष्ठ वकील की प्रस्तुति का जोरदार खंडन किया और प्रस्तुत किया कि उत्तरवादी संख्या 4 का यह मामला है कि प्रस्ताव फॉर्म याचिकाकर्ता के एजेंटों द्वारा भरा गया था जिन्होंने बीमा के लिए डी. एल. ए. से संपर्क किया था। डी. एल. ए. अंग्रेजी भाषा में अच्छी तरह से पारंगत नहीं

था और उसने इसकी सामग्री को समझे बिना केवल प्रस्ताव पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि डी. एल. ए. ने सद्भावना से याचिकाकर्ता के एजेंट पर भरोसा करते हुए प्रस्ताव पत्र पर हस्ताक्षर किए और निगम के डॉक्टर द्वारा डीएलए की पूरी तरह से जांच के बाद ही पॉलिसी जारी की गई थी और कोई प्रतिकूल चिकित्सा स्थिति नहीं पाई गई थी।

15. उत्तरवादी संख्या 4 की ओर से उपस्थित विद्वान वकील आगे यह प्रस्तुत करते हैं कि उत्तरवादी संख्या 4 ने डीसीएफ, मुजफ्फरपुर के समक्ष पैरा (xi) में यह दलील दी कि जीवन बीमा यानी डी. एल. ए. ने टी. बी. के लिए किसी भी डॉक्टर से परामर्श नहीं किया था। यहां यह उल्लेख करना उचित है कि टी. बी. छह महीने की दवा की खुराक के तहत एक इलाज योग्य बीमारी है और याचिकाकर्ता प्रस्ताव प्रपत्र देने से पहले दो साल के टी. बी. के उपचार के बारे में बात कर रहा है जो काफी गलत और मनगढ़ंत है, जबकि तत्काल मामले में, जीवन बीमाधारक की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई।

16. विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि शिकायत मामले में उक्त कथन टी. बी. की गैर-गंभीरता और उपचार योग्य प्रकृति पर जोर देने के लिए दिया गया था और इस प्रकार, कल्पना के किसी भी विस्तार से, इसे उत्तरवादी संख्या 4 द्वारा स्वीकारोक्ति के रूप में नहीं समझा जा सकता है और याचिकाकर्ता डीसीएफ, मुजफ्फरपुर के समक्ष उक्त दलील का संकेत लेकर इसे संदर्भ से बाहर ले जाकर और इसे तोड़-मरोड़ कर बयान का गलत अर्थ निकालने की कोशिश कर रहा है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि याचिकाकर्ता द्वारा जिन चिकित्सा दस्तावेजों पर भरोसा किया जा रहा है, वे डी. एल. ए. से संबंधित नहीं हैं क्योंकि डी. एल. ए. कभी भी टी. बी. से पीड़ित नहीं था और

और न ही इसके लिए कोई इलाज कराया था। याचिकाकर्ता द्वारा जिन चिकित्सा अभिलेखों पर भरोसा किया जा रहा है, वे झूठे, जाली और मनगढ़ंत हैं, क्योंकि रिट याचिका में की गई दलीलों से, यह बिलकुल भी संकेत नहीं मिलता कि जांचकर्ता या कंपनी ने ऐसे रिकॉर्ड की वास्तविकता का पता लगाने के लिए डॉक्टर या दस्तावेज के लेखक की जांच की। इसके बाद यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह बीमा पॉलिसी का एक तय सिद्धांत है कि यदि किसी चिकित्सा दस्तावेज पर भरोसा किया जा रहा है तो इसे डॉक्टर या उक्त दस्तावेज के लेखक के एक हलफनामे द्वारा सुनिश्चित/समर्थित और प्रमाणित किया जाना चाहिए, जिसके लिए **सुशील कुमार जैन बनाम यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड** मामले में (2012) 1 सीपीजे 204 (एनसी) के मामले में फैसले पर भरोसा किया जाता है। विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि उक्त निर्णय ने अंतिम रूप प्राप्त कर लिया है।

17. प्रत्यर्थी सं. 4 के लिए विद्वान अधिवक्ता उक्त निवेदन करने के बाद न्यायालय का ध्यान दिनांक 29.12.2015 (अनुलग्नक-पी/5 पृष्ठ 133) की जांच एजेंसी की रिपोर्ट की ओर आकर्षित करते हैं और प्रस्तुत करते हैं कि रिपोर्ट गुप्त है और इसमें आवश्यक विवरणों की कमी है। इसके अलावा, रिपोर्ट में निश्चित रूप से यह दर्ज नहीं किया गया है कि यह डी. एल. ए. ही था जिसकी टी. बी. से मृत्यु हुई थी और न ही डी. एल. ए. के पिता और टी. बी. के लिए डी. एल. ए. का इलाज करने वाले डॉक्टर का नाम दर्ज किया गया है। इसके बाद यह प्रस्तुत किया जाता है कि रिपोर्ट में यह भी दर्ज किया गया है कि प्रस्ताव प्रपत्र में दर्ज पते पर डी. एल. ए. नहीं मिला था, जांच में पाया गया कि डी. एल. ए. गांव सिद्धोरपुर का निवासी था। इसके अलावा, प्रस्ताव प्रपत्र में उल्लिखित पते पर पूछताछ पर सभी ने डी. एल. ए. को पहचानने से

इनकार कर दिया लेकिन बताया कि भोला रॉय नाम का एक व्यक्ति उस क्षेत्र में रहता था, जिसकी पांच साल पहले मृत्यु हो गई थी, लेकिन तब उसके पिता का नाम डी. एल. ए. के पिता के नाम से मेल नहीं खाता था। इसके अलावा, डी. एल. ए. गांव सिद्धोरपुर का निवासी था, जिसकी लगभग डेढ़ साल पहले टी. बी. के कारण मृत्यु हो गई थी और वह शराबी होने के कारण पी. एच. सी. में इलाज करा रहा था। इसके अलावा, डी. एल. ए. की पत्नी ने बताया कि डी. एल. ए. की मृत्यु सड़क दुर्घटना के कारण हुई और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आशा कार्यकर्ता ने इसका समर्थन किया। इसके अलावा, एल. ए. ने खुद को एक 43 वर्षीय व्यक्ति के रूप में दिखाया और उस समय अपना पैन कार्ड उम्र के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया था जिसे आयकर विभाग के डेटा बेस से सत्यापित किया गया था और इसकी सामग्री के अनुसार वास्तविक पाया गया था।

18. निजी उत्तरवादी सं. 4 के लिए विद्वान अधिवक्ता, इस प्रकार, पुनरावृत्ति की कीमत पर प्रस्तुत करते हैं कि अन्वेषक की जांच रिपोर्ट दूर से भी निश्चित रूप से यह नहीं बताती है कि यह डी. एल. ए. था जो शराबी था और टी बी से मर गया था। इसके बाद यह प्रस्तुत किया जाता है कि अनुलग्नक-5 की समापन जांच से यह पता चलता है कि वही रिकॉर्ड कि एक भोला रॉय की मृत्यु पांच साल पहले यानी वर्ष 2011 में हुई थी और दूसरे भोला रॉय की मृत्यु डेढ़ साल पहले यानी 2014 के मध्य में टी बी से हुई थी, क्योंकि जांच रिपोर्ट दिनांकित 29.12.2015 की है।

19. विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि दिनांकित 29.12.2015 की जांच रिपोर्ट के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि एक भोला

रॉय की मृत्यु वर्ष 2011 में हुई और दूसरे भोला रॉय की मृत्यु वर्ष 2014 में हुई। भोला रॉय, जिनका वर्ष 2014 में निधन हो गया था, एक शराबी थे और टी बी से पीड़ित थे। इस प्रकार, यह प्रस्तुत किया जाता है कि यदि उक्त भोला रॉय वह व्यक्ति हैं जो उस घटना में डी. एल. ए. हैं तो उन्होंने वर्ष 2015 में पॉलिसी कैसे ली होगी। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि यद्यपि 29.12.2015 की जांच रिपोर्ट में दर्ज किया गया है कि जांच करने वाले द्वारा लोगों के द्वारा प्रदान की गई जानकारी पर जांच की गई थी, लेकिन फिर जांचकर्ता की रिपोर्ट से यह भी पता नहीं चलता है कि वह व्यक्ति कौन था जिसने उसे सूचित किया था कि एक भोला रॉय की मृत्यु वर्ष 2011 में हुई थी और दूसरे भोला रॉय की मृत्यु वर्ष 2014 में हुई थी, यानी ऐसे व्यक्ति का नाम, पता और माता-पिता दिनांकित 29.12.2015 की रिपोर्ट में गायब हैं, इसलिए यह अच्छी तरह से माना जा सकता है कि यह कार्यालय में बैठकर तैयार की गई एक तालिका रिपोर्ट थी, इसलिए कोई विश्वास नहीं किया जा सकता है। इस तरह की रिपोर्ट में आवश्यक विवरणों की कमी है।

20. उत्तरवादी सं. 4 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता, इस प्रकार, प्रस्तुत करते हैं कि उत्तरवादी सं 4 का दावा को जांचकर्ता की एक जांच रिपोर्ट के आधार पर अस्वीकार कर दिया गया है जिसमें स्पष्टता, विश्वसनीयता का अभाव है और आवश्यक तथ्यों को दर्ज करने में भी कमी है, आवश्यक तथ्य अर्थात् डॉक्टर का नाम गायब है जिसने डी. एल. ए. का इलाज किया, यहां तक कि उनके पते और माता-पिता वाले व्यक्तियों का नाम भी गायब है, जिन्होंने उपरोक्त दो भोला रॉय के बारे में खुलासा किया, इसके अलावा, दोनों के पिता का नाम भोला रॉय रिपोर्ट में गायब है और सबसे

बढ़कर अगर दूसरे भोला रॉय की 2014 के मध्य में मृत्यु हो गई, तो वह व्यक्ति कौन था जिसने पॉलिसी ली थी।

21. उत्तरवादी सं. 4 के लिए विद्वान अधिवक्ता आगे प्रस्तुत करते हैं कि डी. एल. ए. की मृत्यु दुर्घटना के कारण हुई, जब वह अपने दोस्त से मिलने के लिए रीपुरा जा रहा था, जब वह एक मोटरसाइकिल से दुर्घटना का शिकार हो गया, जिसके लिए 2015 का सकरा थाना केस संख्या 271 स्थापित किया गया था और उसके बाद डी. एल. ए. के शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया, इस प्रकार, डी. एल. ए. की मृत्यु का तात्कालिक कारण टी. बी. नहीं था, बल्कि उसकी मृत्यु एक घातक दुर्घटना के कारण हुई, जो उसके साथ हुई। इसके बाद यह प्रस्तुत किया जाता है कि चूंकि एक पुलिस मामला दर्ज किया गया था, इसलिए शव का पोस्टमार्टम भी किया गया था जो डी. एल. ए. का था और उसके बाद परिवार के सदस्यों की उपस्थिति में डी. एल. ए. के शव का अंतिम संस्कार किया गया था, इसलिए, याचिकाकर्ता का यह तर्क कि डी. एल. ए. की मृत्यु टी. बी. के कारण हुई, याचिकाकर्ता द्वारा भर्ती की गई एजेंसी द्वारा की गई जांच के आधार पर एक दूर की कल्पना के अलावा और कुछ नहीं है और जांच रिपोर्ट भी ऊपर दर्ज किए गए कारणों के लिए विश्वास को प्रेरित नहीं करती है।

22. उत्तरवादी सं. 4 के लिए विद्वान अधिवक्ता इस प्रकार, प्रस्तुत करते हैं कि डी. एल. ए. की मृत्यु एक घातक दुर्घटना के कारण हुई, जो उसे रीपुरा में अपने मित्र से मिलने जाते समय हुई थी, न कि टी. बी. के कारण और जब उस समय नीति दस्तावेज जारी किया गया था, तो डी. एल. ए. किसी भी प्रकार की बीमारी से पीड़ित नहीं था, इस प्रकार, याचिकाकर्ता का

यह तर्क कि पहले से मौजूद बीमारी को छुपाया गया था, कल्पना की उपज है और और इसलिए डीसीएफ, राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग ने याचिकाकर्ता की कंपनी द्वारा पारित दिनांक 12.02.2016 के आदेश को रद्द करके उत्तरवादी संख्या 4 के दावे को सही ठहराया है।

23. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के बाद, न्यायालय उत्तरवादी सं. 4 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गई प्रस्तुति से पूरी तरह सहमत है और, इस प्रकार, रिट आवेदन में कोई योग्यता नहीं मिलती है।

24. तदनुसार, रिट आवेदन को Rs. 50,000/- की खर्च जिसे याचिकाकर्ता द्वारा उत्तरवादी संख्या 4 को आज से एक महीने की अवधि के भीतर भुगतान किया जायेगा, के साथ खारिज किया जाता है।

(सत्यव्रत वर्मा, न्यायमूर्ति)

कुंदन/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।